



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032022-234171
CG-DL-E-14032022-234171

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1106]

No. 1106]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 14, 2022/फाल्गुन 23, 1943

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 14, 2022/PHALGUNA 23, 1943

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2022

का.आ. 1146(अ).—राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य सभा के ऐसे सदस्य (सदस्यों) के स्थान (स्थानों) को भरने के प्रयोजन के लिए, जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख को निवृत्त हो रहे हैं, उनकी पदावधि के अवसान पर, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य (सदस्यों) को निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं :--

सारणी

क्र.सं.	राज्य का नाम	भरे जाने वाले स्थानों की संख्या	निवृत्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	असम	02	02.04.2022
2.	हिमाचल प्रदेश	01	02.04.2022

3.	केरल	03	02.04.2022
4.	नागालैंड	01	02.04.2022
5.	त्रिपुरा	01	02.04.2022
6.	पंजाब	03 (एक पृथक् निर्वाचन)	09.04.2022
		02 (एक पृथक् निर्वाचन)	09.04.2022

[फा.सं. एच-11024/2/2021-वि.2]

डा. रीटा वशिष्ठ, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th March, 2022

S.O. 1146(E).—In pursuance of section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of each States specified in column (2) of the Table below, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, the number of member(s) specified against each State in column (3) of the said Table, for the purpose of filling the seat(s) of member(s) of the Council of States whose term of office is due to expire on the date mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, on the expiration of their term of office:-

TABLE

Sl.No.	Name of State	No. of seats to be filled	Date of Retirement
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Assam	02	02.04.2022
2.	Himachal Pradesh	01	02.04.2022
3.	Kerala	03	02.04.2022
4.	Nagaland	01	02.04.2022
5.	Tripura	01	02.04.2022
6.	Punjab	03 (One separate election)	09.04.2022
		02 (One separate election)	09.04.2022

[F. No.H.11024/2/2021-Leg.II]

Dr. REETA VASISHTA, Secy.